आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 113/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक शाखा राजापार्क जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स जी.एन.एक्स फुटवेयर
   पता :– शॉप नम्बर 120, फर्स्ट फ्लोर, सरावगी मैंशन, एम.आई. रोड, जयपुर।
   एवं प्लाट नम्बर एस–1, ज्योति नगर विस्तार, जयपुर।
2. श्री सुभाष सिंधी पुत्र श्री प्रकाश चन्द सिंधी
3. श्रीमती नेहा सिंधी पत्नी श्री गौरव सिंधी
4. श्रीमती सुधा सिंधी पत्नी सुभाष सिंधी
   पता :– जे–36, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
5. श्रीमती प्रेम कान्ता सोमानी पत्नी श्री रमेश कुमार सोमानी
   बी–146, मंगल मार्ग बापू नगर, लालकोठी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थित :–

1. श्री राजेश कुमार सैनी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री मोहम्मद हारून, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से।

आदेश दिनांक 14.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुधा सिंधी पत्नी श्री सुभाष सिंधी एवं प्रेम कान्ता सोमानी पत्नी श्री रमेश कुमार सोमानी के स्वामित्व की सम्पति आफिस नम्बर 120, फर्स्ट फ्लोर, सरावगी मैंशन, जिला जयपुर क्षेत्रफल 249.00 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 40,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री मोहम्मद हारून अधिवक्ता उपस्थित हुये।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी को कुल राशि 40,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 45,40,175/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्रीमती सुधा सिंधी पत्नी श्री सुभाष सिंधी एवं प्रेम कान्ता सोमानी पत्नी श्री रमेश कुमार सोमानी के स्वामित्व की सम्पति आफिस नम्बर 120, फर्स्ट फ्लोर, सरावगी मैंशन, जिला जयपुर क्षेत्रफल 249.00 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी. वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

7. आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर